

ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

of 20

Case No.

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

Order of Proceeding With Signature of Presiding Officer

Date of
order of
Proceeding

आज आरक्षी केन्द्र आवकानी विभाग के उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक बुधेश कुमार से
क0 द्वारा प्रभारी की ओर अपराध
क0 अंतर्गत धारा 341/A अधिनियम के अधीन दण्डनीय
भा0 द0 सं0 / अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोग

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री सिकरवार उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण राफाएल डी. धमरीन्ह आरव
डम-40 निवासी / निवासीगण हडिपापुरा तेह0 गोटड
थाना डांगड जिला भिरु राज्य क्र0 पू0
उपरिधत। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
श्री मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा0 द0 सं0 / 341/A अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द0 प्र0 सं0 के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पजी में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0 प्र0 सं0 की धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000 / - (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त किया जाये।

रायशि

21/11/18

चूँकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 34 CrP भा0द0स0/ अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियाँ विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् दथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टर्किट कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 02 लीटर हाथअर्दी की द्रव्यसंपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट कर किये जायेंगे। संपत्ति व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6890 रसीद क0 30 दी गई।

अभियुक्त/अभियुक्तगण को राजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate First Class,
(अतिरिक्त) जसि. अ. प्रथम (M. J. अ. प्र.)

लेहट जिला मजिस्ट्रेट सोन

A.K. Gupta
Judicial Magistrate First Class,
सोन